कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ

संख्या - 1975/शि0का0लख0/00 दिनांक अक्टूबर 03,00

समस्त उप / सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश।

जनता, जनप्रतिनिधियों एवं जनपदों के बार ऐसोसिएशन के माध्यम से भी इस आशय की गम्भीर शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उप निबंधक कार्यालयों में अनाधिकृत एवं बाहरी व्यक्तियों को रखकर उनसे निंबंधन कार्य में सहायता ली जा रही है और उन्हे औपचारिक रूप से अनधिकृत तौर पर भुगतान भी किया जाता है जिससे जहां एक ओर महत्वपूर्ण अभिलेखों में हेराफेरी एवं जालसाजी की सम्भावना बनी रहती है एवं इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना भी संभव नही है, वहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है एवं ऐसे बाहरी व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए जनता से अनाधिकृत रूप से वसूली की जाती है।

यह अत्यन्त आपत्तिजनक एवं गम्भीर स्थिति है और यदि कहीं इस प्रकार प्रदेश के किसी भी उप निबंधक कार्यालय में ऐसे बाहरी व्यक्तियों से कार्य लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलता है कि इसमें उप- निबंधक की सहमति भी अवश्य होगी क्योकि उप- निबंधक अपने कार्यालय के नियंत्रण अधिकारी भी हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदों में निबन्धन कार्यालयों का आकस्मिक भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि यदि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति कार्यरत है तो उसे तत्काल हटा दिया जायें। इस पत्र की प्रतिलिपि भी अपने स्तर से अपने जनपद के सभी उप-निबंधकों को हस्तगत कराकर अधोहस्ताक्षरी को यह अवगत करावे कि पत्र की प्रतिलिपि सभी उप-निबंधकों को प्राप्त करा दी गई है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि यदि भविष्य में मुख्यालय के अधिकारियों अथवा शासन के किसी प्रतिनिधि या मेरे स्वयं के आकस्मिक निरीक्षण के समय किसी उप- निबंधक कार्यालय में कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से शासकीय कार्य करते पाए जाते है तो इसके लिए सीधे उप- निबंधक को उत्तरदायी ठहराते हुए उनके विरूद्ध विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसमें उनका निलम्बन भी सम्मिलित होगा । इस संबंध में कृत कार्यवाही की समीक्षा आगामी बैठकों तथा आयोजित होने वाली मण्डलीय बैठकों में भी मै करूगां । कृपया इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

बीरेश कुमार
महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश,
शिविर- लखनऊ